रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261172
CG-DL-E-19022025-261172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2025

फा. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(2).—कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इन प्रारूप नियमों कि राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किया जा सकता है अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सूझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2025 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 के अन्तर्गत,

(1) विनियम 2.3 में, उप- विनियम 2.3.1 में,-

(क) खंड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2. एफएसएस अधिनियम, 2011 के तहत परीक्षण या विश्लेषण के पश्चात, रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रेषक को तुरंत प्रदान की जाएगी।";

(ख) खंड 4 में "परन्तु यह और कि" से शुरू होने वाले और "खाद्य विश्लेषक" पर समाप्त होने वाले प्रावधान के लिए निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात : -

"परन्तु यह और कि अनिर्दिष्ट उत्पादों के संबंध में प्रयोग कि जाने वाली मात्रा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।";

(2) विनियम 2.4 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2.5 विश्लेषण की विधि-

2.5.1 खाद्य पदार्थ नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर संशोधित या अपनाई गई विश्लेषण पद्धति की नियम पुस्तिका (मैनुअल) का उपयोग किया जाएगा। किसी मानदंड का विश्लेषण करने की विधि इन नियम पुस्तिका (मैनुअल) में उपलब्ध ना होने की स्थिति में, खाद्य प्रयोगशाला एओएसी/ आईएसओ/ पियर्सन/जैकब/आईयूपीएसी/खाद्य रसायन कोडेक्स/ बीआईएस/ कोडेक्स एलिमेंटेरियस/ वुडमेन/विंटन–विंटन/जोसलिन या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी नियामक एजेंसी की मान्य विधि अपना सकती है।";

(3) विनियम 2.5 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" 2.6 विश्लेषण की समय सीमा -

2.6.1 विनियामक नमूने:- (1) एफएसएस नियम, 2011 के तहत खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थ प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्रारूप में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।

परन्तु यह कि पावति प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को निर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिनामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।

(2) एफएसएस नियम, 2011 के तहत अपील की स्थिति में रेफरल प्रयोगशाला निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नमूना प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।

परन्तु यह कि पावति प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को निर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिनामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।

2.6.2 आयात: एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 के तहत अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला, स्थिति के अनुसार, नमूने की पावति प्राप्त होने की तिथि से पाँच दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगा ।

परन्तु यह कि यदि नमूने का परीक्षण निर्दिष्ट समय के भीतर प्रयोगशाला द्वारा नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।";

(4) विनियम के अन्तर्गत प्रपत्र क और प्रपत्र ख को विलोपित कर दिया जाएगा ।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./990/2024-25]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3 खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा. सं. 2–15015/30/2010 दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा.सं. 11023/24/2017-क्युए, दिनांक 15 अक्तुबर, 2020 के माध्यम से की गई थी ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025

F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(2).—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2025.

2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Regulations, 2011,-

(1) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.1,**-**

(a) for clause 2, the following shall be substituted, namely: -

"2. After test or analysis, the certificate thereof duly signed by the Director of the Referral Food Laboratory or the report signed by the Food Analyst shall be supplied forthwith to the sender in Form as prescribed under FSS Rules, 2011.";

(b) in clause 4, for the proviso starting with "Provided further that" and ending with "the Food Analyst", the following shall be substituted, namely: -

"Provided further that in case of the unspecified products, the quantity drawn shall be as per the guidelines issued by Food Authority from time to time.";

(2) after regulation 2.4, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**2.5 Method of Analysis-**

2.5.1 The manuals of the method of analysis, as amended or adopted by the Authority from time to time, shall be used for analysing the samples of food articles. However, in case the method for analysing any

parameter is not available in these manuals, the Food Laboratory may adopt a validated method of analysis prescribed by AOAC/ ISO / Pearson's/ Jacob/ IUPAC/ Food Chemicals CODEX/ BIS/ Codex Alimentarius/ Woodmen/ Winton-Winton/ Joslyn or any other internationally recognized regulatory agencies.";

(3) after regulation 2.5, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**2.6 Timeline for Analysis-**

2.6.1 Regulatory samples:- (1) The Food Analyst shall issue the signed report within 14 days of the receipt of the article of food for analysis as per the format specified under FSS Rules, 2011.

Provided that in case the sample cannot be analysed within 14 days of its receipt, the Food Analyst shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis.

(2) In case of appeal, referral laboratory shall issue the report signed by the Director within 14 days of receipt of sample as per the format specified under FSS Rules, 2011.

Provided that in case the sample cannot be analysed within 14 days of its receipt, the referral laboratory shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis.

2.6.2 Import: Notified laboratory or referral laboratory as the case may be, shall provide the laboratory analysis report as per the format specified under FSS (Import) Regulations, 2017 within five days from the date of receipt of the sample.

Provided that in case the sample cannot be tested by the laboratory within the specified time it shall state the reasons for the same in writing to the Authorised Officer.";

(4) in regulation, the FORM A and FORM B shall be omitted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./990/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2011 and last amended *vide* notification number F. No. 11023/24/2017-QA, dated 15th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.